निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड

मि0नं0 09/अपील/19 तारीख दायरा 10.10.2019

उनवान अपील

रामप्रसाद पिता गिरधारीलाल जाति कुम्हार निवासी औसाव तहसील सुनेल (अपीलान्ट)

बनाम

01.भैरूलाल वल्द गिरधारी जाति कुम्हार निवासी ग्राम औसाव तहसील सुनेल
02.रामगोपाल वल्द गिरधारी जाति कुम्हार निवासी ग्राम औसाव तहसील सुनेल
03.कनीराम वल्द गिरधारी जाति कुम्हार निवासी ग्राम औसाव तहसील सुनेल
04.कैलाशचन्द वल्द गिरधारी जाति कुम्हार निवासी ग्राम औसाव तहसील सुनेल
05.कारीबाई पुत्री गिरधारी जाति कुम्हार निवासी ग्राम औसाव तहसील सुनेल
06.भगवतबाई पुत्री गिरधारी जाति कुम्हार निवासी ग्राम औसाव तहसील सुनेल
07.मन्जूबाई पुत्री गिरधारी जाति कुम्हार निवासी ग्राम औसाव तहसील सुनेल
08.सीमाबाई पुत्री गिरधारी जाति कुम्हार निवासी ग्राम औसाव तहसील सुनेल
09.घीसीबाई बेवा गिरधारी जाति कुम्हार निवासी ग्राम औसाव तहसील सुनेल
10.राजस्थान सरकार नायब तहसीलदार सुनेल (रेस्पोडेन्ट्स)

अपील बनाराजगी इन्तकाल न0 384 दिनांक 26.08.1998 केम्प औसाव नायब तहसीलदार सुनेल

उपस्थितः– श्री शेलेन्द्र पोसवाल अभिभाषक अपीलान्ट
श्री खेमचन्द अभिभाषक रेस्पो0 1 लगायत 09 की और से

–: निर्णय :– दिनांकः 04.12.2019

यह अपील अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार सुनेल के आदेश दिनांक 26.08.1998 जिसके द्वारा ग्राम औसाव की आराजी का नामान्तरकरण संख्या 384 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि ग्राम औसाव की आराजी ख0न0 89 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा व ख0न0 177 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबता 7 बीघा 2 बिस्वा आराजी अपीलान्ट के पिता गिरधारी वल्द गंगाराम के खातेदारी में थी, अपीलान्ट के पिता की मृत्यु उपरान्त 1998 में समस्या समाधान शिविर केम्प औसाव में फोती इन्तकाल न0 384 खुला जिसमें पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट मय शजरा(अपीलान्ट व रेस्पो0 1 लगायत 9 के नाम वाला) नायब तहसीलदार सुनेल के समक्ष प्रस्तुत किया गया किन्तु नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा उक्त फोती इन्तकाल में अपीलान्ट का नाम दर्ज नही किया गया। उक्त आराजी पर नाम नही होने से किसान क्रेडिट कार्ड बनाने व मुआवजा लेने व सहकारी ऋण लेने में समस्या उत्पन्न हो रही है। अपीलान्ट का नाम खाते में दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 1 लगायत 9 की और से अभिभाषक श्री खेमचन्द का वकालतनामा पेश हुआ व उपस्थित हुए । प्रकरण में हमारे द्वारा तहसीलदार सुनेल से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि ग्राम औसाव की आराजी ख0न0 89 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा व ख0न0 177 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 रकबता 7 बीघा 2 बिस्वा आराजी अपीलान्ट के पिता गिरधारी वल्द गंगाराम के खातेदारी में थी, अपीलान्ट के पिता की मृत्यु उपरान्त 1998 में समस्या समाधान शिविर केम्प औसाव मे पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट मय शजरा(अपीलान्ट व रेंस्पो0 1 लगायत 9 के नाम वाला) नायब तहसीलदार सुनेल के समक्ष प्रस्तुत किया गया किन्तु नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा उक्त फोती इन्तकाल 384 में अपीलान्ट का नाम दर्ज नही किया गया। अपीलान्ट का नाम इन्तकाल में दर्ज करने का किया ।

इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष से यह तो जाहिर है कि तत्समय हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया उसमें नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा प्रस्तुत शजरा अनुसार इन्तकाल तस्दीक नहीं किया जाकर अपीलान्ट का नाम जो कि शजरे में था को छोड़ा जाकर बाकी वारिसान के नाम उक्त इन्तकाल में दर्ज किये गये हैं। इसी क्रम में तहसीलदार सुनेल से पत्रांक 396/रीडर/19 दिनांक 25.11.2019 से प्राप्त रिपोर्ट " परन्तु इन्तकाल की पुश्त पर दर्ज तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय में वादी रामप्रसाद आ0 गिरधारी का नाम दर्ज नहीं किये जाने से अमल में वादी का नाम दर्ज होने से रह गया है जो दर्ज किये जाने योग्य है।" से उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में की गई बहस को बल मिलता है। उपरोक्त विवेचन से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम औसाव के इन्तकाल न0 384 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सुनेल को निर्देशित किया जाता है कि नियमों के परिपेक्ष्य में विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार गिरधारी वल्द गंगाराम जाति कुम्हार नि0 औसाव के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेकर नवीन इन्तकाल तस्दीक करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सुनेल को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2019.12.16 11:37:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: